

भारत सरकार  
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय  
कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग  
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 4547

23 मार्च, 2021 को उत्तरार्थ

विषय: किसानों के लिए लाभकारी मूल्य

4547. श्री हाजी फजलुर रहमान:

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या देश के विभिन्न राज्यों, विशेषकर उत्तर प्रदेश में किसान अपनी उपज की उत्पादन लागत की तुलना में लाभकारी मूल्य पर अपनी फसलों को बेचने में असमर्थ हैं;
- (ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;
- (ग) क्या सरकार का उत्तर प्रदेश के किसानों की स्थिति में सुधार करने के लिए राहत पैकेज जारी करने का विचार है;
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ङ.) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क) से (ङ.): सरकार, राज्य सरकारों और संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों के मंतव्यों एवं अन्य संबंधित कारकों पर विचार-विमर्श करने के बाद, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (सीएसीपी) की सिफारिशों के आधार पर प्रत्येक वर्ष दोनों फसल मौसमों में उचित औसत गुणवत्ता (एफएक्यू) वाली 22 मुख्य कृषि वस्तुओं के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करती है। इसके अलावा, तोरिया और बिना छिलके वाली नारियल के लिए एमएसपी, क्रमशः रैपसीड एवं सरसों और कोपरा के एमएसपी के आधार पर निर्धारित की जाती है। सीएसीपी, एमएसपी की सिफारिश करते समय, भूमि, जल तथा अन्य उत्पादन संसाधनों का युक्तिसंगत उपयोग सुनिश्चित करने के अलावा अन्य महत्वपूर्ण कारक जैसे शेष उत्पादन की लागत, सम्पूर्ण मांग-आपूर्ति स्थिति, घरेलू और अन्तरराष्ट्रीय मूल्य, अन्तर-फसल मूल्य, कृषि एवं गैर-कृषि क्षेत्रों के बीच व्यापार के नियम, शेष अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव की संभाव्यता और उत्पादन की लागत के ऊपर औसत 50 प्रतिशत की न्यूनतम सीमा पर विचार करती है। सरकार अपने विभिन्न हस्तक्षेप स्कीमों के माध्यम से किसानों को लाभकारी मूल्य भी प्रदान करती है। इसके अलावा, सम्पूर्ण बाजार भी एमएसपी की घोषणा और सरकारी खरीद प्रचालनों पर अनुक्रिया करती है जिसके परिणामस्वरूप निजी खरीद विभिन्न अधिसूचित फसलों के लिए एमएसपी पर अथवा इसके उपर की जाती है।

सरकार, उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में सभी एमएसपी अधिसूचित फसलों के लिए मूल्य समर्थन प्रदान करती है। धान और गेहूं की खरीद भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) और अन्य राज्य एजेंसियों के माध्यम से की जाती है। इसके अलावा, राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न प्रकार के पोषक अनाज और मक्का, एफसीआई के पमामर्श से तथा उतनी मात्रा में जितनी संबंधित राज्य सरकारों द्वारा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) तथा अन्य कल्याणकारी स्कीमों के लिए उपयोग किया जा सके, राज्य सरकारों द्वारा स्वयं खरीदा जाता है।

मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) के तहत, उचित औसत गुणवत्ता (एफएक्यू) वाले तिलहनों, दलहनों तथा कोपरा की खरीद, जब कभी इन उपजों की बाजार कीमत एमएसपी से नीचे गिरती है तो संबंधित राज्य सरकारों के साथ परामर्श से एमएसपी के निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार, पंजीकृत किसानों से की जाती हैं। पीएम-आशा के तहत, अमुक तिलहन फसलों के संदर्भ में निश्चित खरीद मौसम में राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों को समूचे राज्य के लिए या तो मूल्य समर्थन योजना या मूल्य की कमी भुगतान योजना (पीडीपीएस) का चयन करना होता है। इसके अलावा, राज्यों के पास तिलहनों के लिए प्राइवेट स्टॉककर्ताओं की भागीदारी से जिले के जिला/चयनित एपीएमसी में प्रायोगिक आधार पर प्राइवेट खरीद तथा स्टॉकिस्ट स्कीम (पीपीएसएस) चलाने का विकल्प होता है।

सरकार द्वारा कपास और जूट की खरीद एमएसपी पर क्रमशः भारतीय कपास निगम (सीसीआई) और भारतीय जूट निगम (जेसीआई) के माध्यम से की जाती हैं। इसके अलावा, यदि एमएसपी की तुलना में किसानों को बेहतर मूल्य मिलता है तो वह अपने उत्पाद को खुले बाजार में बेचने के लिए स्वतंत्र हैं।

इसके साथ ही, ऐसे बागवानी/कृषि वस्तुओं, जिसकी न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की घोषणा नहीं हुई है और जो नाशवान प्रकृति के हैं, उनके उत्पादकों के संरक्षण के लिए सरकार बाजार हस्तक्षेप योजना (एमआईएस) कार्यान्वित करती है। इस हस्तक्षेप का उद्देश्य उत्पादकों को मजबूरी में माल बेचने से बचाना है। एमआईएस दिशा-निर्देशों के अनुसरण में, यह स्कीम राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों के अनुरोध पर कार्यान्वित की जाती है तथा जो राज्य हानि का , यदि कोई हों, 50 प्रतिशत (उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए 25 प्रतिशत) सहन करने के लिए तैयार होती है।

\*\*\*\*\*